न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–09/2015–16

माफिल सोरेन वगैरह
बनाम
बाले मुर्मू वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
03.10.2018	**आदेश** अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया। यह अपील उत्तरवादी बाले मुर्मू को निम्न न्यायालय द्वारा आमड़ापाड़ा थानान्तर्गत मौजा–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 के उत्तराधिकारी घोषित करने एवं अपीलकर्त्ताओं को जमाबन्दी नं0–23 से उच्छेद किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। मौजा–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 अंतिम सर्वे सेटेलमेन्ट के खतियान में मेघु सोरेन एवं मुरली सोरेन दोनों के पिता बाबरा सोरेन के नाम से दर्ज है। दोनों खतियानी रैयत की मृत्यु हो गई है। उनलोगों का कोई वारिसान नहीं है, जिसके कारण जमाबन्दी नं0–23 की जमीन फौती लायक है। अपीलकर्त्ताओं के द्वारा ग्राम प्रधान रामेश्वर टुडू को कई बार जमाबन्दी नं0–23 की जमीन को फौती घोषित करने एवं असहाय व्यक्तियों के साथ उस जमीन की बन्दोवस्ती किये जाने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करते हुए स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा गलत रूप से वर्णित जमीन का चास–आबाद कर रहे है। अपीलकर्त्ताओं के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष जमाबन्दी नं0–23 को फौती घोषित करने के लिए आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0एम0केस नं0–25/2012–13 संस्थित किया गया। लेकिन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उत्तरवादी वाले मुर्मू ग्राम प्रधान रामेश्वर टुडू का बहन का पुत्र है। उनके द्वारा गलत रूप से जमाबन्दी नं0–23 की जमीन का दखल हेतु खतियानी रैयत का उत्तराधिकारी के संबंध में मनगढ़ंत कहानी बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में बाले मुर्मू के द्वारा	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आर0ई0आर0 वाद सं0–25/12 दायर किया गया। प्रधान के द्वारा बाले मुर्मू का नाम मौजा–भिलाई के वोटर लिस्ट में चढ़ाया गया जबकि वे वास्तविक रूप से मौज हेटबांधा के है। कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–25/2012–13 में गलत प्रतिवेदन दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा 18.12.2012 को डी0बी0 नं0–450 दिनांक 15.10.2012 के आलोक में आर0ई0आर0 वाद सं0–25/2012–13 का प्रतिवेदन जब दिया गया है तो अंचल अधिकारी के द्वारा उसी डी0बी0 नं0–450 दिनांक 15.10.2012 के आलोक में पुनः द्वितीय प्रतिवेदन क्यों दिया गया, जो वास्तविक रूप से कर्मचारी का टेबुल प्रतिवेदन है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए अंचल अधिकारी का प्रथम् प्रतिवेदन को बिना कारण के अनदेखी की गई है।

उत्तरवादी बाले मुर्मू के द्वारा अपीलकर्त्ताओं को उच्छेदी हेतु आर0ई0 आर0 वाद सं0–25/2012–13 में उल्लेख किया गया है कि उसका एक भाई है उसका नाम जागु मुर्मू। लेकिन उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उसको नियमानुसार पक्षकार बनाना चाहिए था। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को वाद खारिज कर देना चाहिए था। मामला का विषय है कि उत्तरवादी के पिता छुतर मुर्मू ग्राम हेटबंधा, थाना–लिट्टीपाड़ा के रहने वाले थे। उनकी शादी घरजमाई तरीके से शहरजोड़ी में हुई थी। शादी के बाद से छुतर मुर्मू, ग्राम–शहरजोड़ी, थाना–लिट्टीपाड़ा में बस गये। उत्तरवादी एवं उसका भाई जुगू मुर्मू का जन्म शहरजोड़ी में हुआ एवं वे वहां बड़े हुए। परन्तु बाद में उत्तरवादी लिट्टीपाड़ा थानान्तर्गत हेटबंधा गांव में बस गये। किन्तु उसका भाई शहरजोड़ी गांव में ही है। निम्न न्यायालय द्वारा गलत रूप से घरजमाई का जाली जेरोक्स पेपर के आधार पर दिनांक 19.12.2015 को आदेश पारित कर अपीलकर्त्ताओं को उच्छेद किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश बिल्कुल ही गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी के प्रथम प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए द्वितीय टेबुल प्रतिवेदन को मान्यता दिया गया, जो बिल्कुल ही गलत है। अपीलकर्त्ताओं के

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

द्वारा दिनांक 04.08.2014 को रेम0मि0केस नं0–25/2012–13 को आर0ई0आर0 केस नं0–25/2012–13 के साथ सम्मिलित किये जाने का आवेदन दिया गया था लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। संथाल परगना (पूरक प्रावधान) 1949 की धारा 20 एवं 42 या अन्य कोई अधिनियम का उलंघन नहीं है। आर0ई0आर0 वाद गलत एवं नियम के विपरीत है, जिस आर0ई0आर0 वाद सं0–25/2012–13 के संबंध में यह अपील है। इस वाद में कुछ भी नहीं है, केवल प्रधान के द्वारा जमाबन्दी नं0–23 फौती जमीन को अवैध रूप से उत्तरवादी के साथ मिलकर हड़पने का प्रयास है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2015 को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा लिखित बहस का अवलोकन किया। उनका कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन में Relief के लिए या फौती घोषित करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। इसलिए अपील आवेदन वाद अंगीकृत के बिन्दु पर सुनवाई के समय ही खारिज करने लायक था। अपीलकर्त्ताओं के द्वारा दिनांक 22.02.2007 को अतिरिक्त अपील आवेदन दाखिल किया गया है। अतिरिक्त अपील आवेदन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तरवादी बाले मुर्मू घरजमाई सिरी मराण्डी एवं छुत्तर मुर्मू का बड़ा पुत्र है। आमड़ापाड़ा थानान्तर्गत मौजा– भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 खतियान में मेघु सोरेन एवं मूरली सोरेन के नाम से है। खतियानी रैयत मेघु सोरेन की मृत्यु उसकी एकमात्र पुत्री रानी सोरेन को छोड़कर हुई है। रानी सोरेन की शादी घरजमाई के रूप में संथाल रीति–रिवाज के अनुसार गुदम हांसदा के साथ हुई है। रानी सोरेन एवं गुदुम हांसदा का कोई पुत्र नहीं है एक पुत्री धानी हांसदा थी। उसकी मृत्यु अविवाहित रहते ही हो गई। इसलिए जमाबन्दी नं0–23 का जमीन का मालिक उत्तराधिकारी के आधार पर मूरली सोरेन हुए। खतियानी रैयत मूरली सोरेन का एकमात्र पुत्री चुककुई सोरेन कीशादी घरजमाई के रूप में संथाल रीति– रिवाज अनुसार मोहन मराण्डी ग्राम–शहरजोड़ी, थाना–लिट्टीपाड़ा के साथ हुई है। अपने जीवनकाल पर्यन्त संथाल रीति–रिवाज के अनुसार मौजा–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 उत्तराधिकार

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	के आधार पर प्राप्त कर भोग–दखल किये। इन दोनों का कोई पुत्र संतान नहीं है केवल एकपुत्री थी। उनके माता–पिता ने सिरी मराण्डी की शादी घरजमाई के रूप में लिट्टीपाड़ा थानान्तर्गत हेटबंधा गांव के छुत्तर मुर्मू के साथ संथाल रीति–रिवाज के साथ किया गया था। सिरी मराण्डी एवं छुतर मराण्डी के द्वारा उत्तराधिकारी से प्राप्त मौज–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 का जमीन अपने जीवनकाल पर्यन्त भोग–दखल किये। सिरी मराण्डी एवं छुतर मराण्डी का दो पुत्र बाले मुर्मू एवं जुगू मुर्मू वैधिक उत्तराधिकार है। सिरी मराण्डी एवं छुत्तर मुर्मू के मृत्यु के बाद बाले मुर्मू एवं जुगू मुर्मू के द्वारा वर्णित जमीन का दखलकार रहते हुए चास–आबाद करते रहे एवं सरकारी लगान देते रहे। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आर0ई0आर0केस नं0–25/2012–13 में अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से प्रतिवेदन मांगा गया था। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर वंशावली के साथ प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2013 को समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उत्तरवादी बाले मुर्मू को घरजमाई युगल सिरी मराण्डी एवं छुत्तर मुर्मू का पुत्र बताया गया है। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा का प्रतिवेदन सही है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी सही है। इनके द्वारा यह भी लिखा गया कि आर0ई0आर0केस नं0–25/2012–13 लंबित रहने की स्थिति में अपीलकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई चुनौती नहीं दी गई थी। मौजा–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 के संबंध में अपीलकर्त्ताओं के गलत हरकत के विरूद्ध ग्राम प्रधान रामेश्वर टुडू दिनांक 29.08.2008 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था, जिसका नं0–63/2008–09 है। आवेदन में उत्तरवादी को वर्णित जमीन का वैधिक उत्तराधिकारी एवं अपीलकर्त्तागण को बाहरी व्यक्ति बताया गया है वर्णित जमीन से अपीलकर्त्ताओं का कोई सरोकार नहीं है। उत्तरवादी बाले मुर्मू एवं उसका पत्नी पानमुनी बेसरा मौजा–भिलाई के वोटरर्स है। उसका कार्ड नं0–LTB8809659 एवं –	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

LTB8808008 है एवं मौजा–भिलाई के वोटर लिस्ट के क्रमांक 229 एवं 227 पर उनलोगों का नाम अंकित है। उत्तरवादी बाले मुर्मू एवं उसकी पत्नी पानमुनी बेसरा मौजा–भिलाई का राशन कार्ड होल्डर हैं। कार्ड नं0–202001392321 है। उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार उत्तरवादी मौजा–भिलाई के स्थायी निवासी है।

उत्तरवादी एवं उसका भाई जुगू मुर्मू मौजा–भिलाई के जमाबन्दी नं0–23 के जमीन का शान्तिपूर्वक दखल में है एवं सरकारी लगान दे रहे है। अपीलकर्त्ताओं के द्वारा गलत रूप से वर्णित जमाबन्दी की भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसलिए अपीलकर्त्ताओं के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0ई0आर0वाद सं0–25/2012–13 दायर किया गया था। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 19.02.2015 को सही रूप से वर्णित जमाबन्दी नं0–23 की जमीन से अपीलकर्त्ताओं को उच्छेद करने का आदेश दिया गया है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही करार देते हुए अपीलकर्त्ताओं के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद् अधिवक्ताओं को सुनने, उनलोगों के द्वारा दाखिल कागजातों के साथ–साथ अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण मौजा–भिलाई का जमाबन्दी सं0–23 के अन्तर्गत कुल रकवा 47 बीघा 12 कट्ठा 04 धुर जमीन को लेकर है। अपीलकर्त्तागण जहाँ उक्त जमाबन्दी जमीन को फौती घोषित कर सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के बीच बन्दोबस्ती करने का दावा करते हैं, वहीं दुसरी ओर उत्तरवादी बाले मुर्मू अपने पिता छुतार मुर्मू की घरजमाई तरीके से खतियानी रैयत स्व0 मुरली सोरेन की नतनी सावरी मराण्डी से शादी होने के आधार पर प्रश्नागत जमीन का उत्तराधिकारी होने का दावा करते है जिसे निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने का आदेश पारित किया गया। अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए अपीलकत्ताओं को प्रश्नागत जमीन से उच्छेद करके उत्तरवादी को दखल कब्जा भी दिलाया गया। घरजमाईनामा घोषणा पत्र दिनांक 11.05.1962 को तैयार किया गया है, जिस पर कुल 53 (तिरपन) गवाहों का हस्ताक्षर/टीप निशान अंकित है। अपीलकत्ताओं द्वारा 5 (पाँच) रैयतों द्वारा सामुहिक रूप से ली गयी शपथ–पत्र

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सं0–13889 दिनांक 04.08.2014 की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें निम्नलिखित रैयतों का नाम अंकित है।

(i) मनसा हाँसदा (ii) बैजल मराण्डी (iii) मदन किस्कू (iv) कुबराज मराण्डी (v) रमका मुर्मू।

उनलोगों के द्वारा घरजमाईनामा घोषणा पत्र को जाली (forged) बताया गया है। पाँचों रैयतों में से एकमात्र रैयत कुबराज मराण्डी का टीप निशान घरजमाईनामा घोषणा पत्र के कमांक 49 पर अंकित है। अन्य का न ही हस्ताक्षर और न ही टीप निशान उक्त घोषणा पत्र पर अंकित है। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जब 11.05.1962 को घरजमाईनामा घोषणा पत्र बनाया गया और उनकी नजर में यह फर्जी (forged) दस्तावेज था तथा उस पर अंकित उनका टीप निशान गलत रूप से लगाया गया था तो उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं अपना प्रतिरोध दर्ज कराया।

किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दु पर सम्यक रूप से विचार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(i) क्या छुतार मुर्मू, ग्राम–हेटबन्धा, थाना–लिट्टीपाड़ा द्वारा घरजमाई के रूप में सावरी मराण्डी, पिता मोहन मराण्डी से शादी वर्ष 1962 में करने के पश्चात् हेठबन्धा गाँव को छोड़कर भिलाई गाँव थाना–अमड़ापाड़ा में निवास करने लगे या नहीं? क्योंकि संथाल Civil law के अनुसार जब किसी लड़के का शादी घरजमाई तरीके से सम्पन्न होता है तो वह अपने पैतृक सम्पति को छोड़कर ससुर के सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है।

अभिलेख पर ऐसा कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है जो साबित कर सके कि घरजमाई तरीके से शादी होने के पश्चात् छुतार मुर्मू ग्राम–हेटबन्धा, अंचल–लिट्टीपाड़ा का अपना पैतृक घर द्वार छोड़कर ग्राम–भिलाई, अंचल–अमड़ापाड़ा में सपरिवार निवास करने लगे। दिनांक 13.05.1989 को प्रधान द्वारा निर्गत एक मार्फती राजस्व रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमें छुतार मुर्मू को मारफतदार अंकित किया गया है। यहाँ यह विचारणीय बिन्दु है कि जब छुतार मुर्मू की शादी 11.05.1962 को हुई तो फिर इतने वर्षो के बाद क्यों उनके द्वारा मारफती रसीद कटाया गया। वर्ष 1989 का न ही मतदाता सूची

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

और न ही राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि वे 1989 या उसके पूर्व के वर्षो से ही मौजा–भिलाई में रह रहे थे।

दुसरी ओर अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल पुनरीक्षण वर्ष 2015 का ग्राम–पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0–14 ग्राम हेटबन्धा प्रखण्ड लिट्टीपाड़ा के मतदाता सूची के कमांक 100 पर बाले मुर्मू तथा 93 पर उनकी पत्नी पानमुनी बेसरा का नाम दर्ज है। यद्यपि कि बाले मुर्मू द्वारा दाखिल मतदाता सूची पुनरीक्षण वर्ष 2015 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 ग्राम–भिलाई, पं0–बोहरा, प्रखण्ड–अमड़ापाड़ा भाग सं0–121 के कमांक 229 पर उनका नाम तथा 227 पर उनकी पत्नी पानमुनी बेसरा का नाम दर्ज है यानि वे लोग उभय ग्राम भिलाई, प्रखण्ड–अमड़ापाड़ा तथा हेटबन्धा, प्रखण्ड–लिट्टीपाड़ा के मतदाता है। बाले मुर्मू द्वारा वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर निर्मित राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके परिवार का पता ग्राम–भिलाई प्रखण्ड–अमड़ापाड़ा अंकित है। उनके द्वारा 01.01.2002 को निर्गत EPIC कार्ड में भी उनका एवं उनके पत्नी का पता मकान सं0–60, गाँव–भिलाई, प्रखण्ड–अमड़ापाड़ा अंकित है, जो उनके भिलाई गाँव में रहने को प्रमाणित करता है। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल उत्तरवादी के भाई मंगल मुर्मू का EPIC कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता सूची तथा Bank A/C की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वह ग्राम–शहरजोड़ी, लिट्टीपाड़ा में निवास कर रहा है। उनको न ही निम्न न्यायालय में वादी/प्रतिवादी के रूप में रखा गया है और न ही इस न्यायालय में जो इस मामले को पेचीदा बना देता है।

उपरोक्त विवेचन से घरजमाईनामा घोषणा पत्र निम्न कारणों से संदेह के घेरे में आता है।

(i) यदि छुतार मुर्मू घरजमाई तरीके से शादी करके अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी के घर ग्राम–भिलाई, अंचल–अमड़ापाड़ा आये तो किस कारण से उनका एक पुत्र ग्राम–भिलाई में रह रहा है तथा दुसरा पुत्र ग्राम–शहरजोड़ी, अंचल–लिट्टीपाड़ा में निवास कर रहा है जिसको किसी भी वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।

(ii) यदि वे ग्राम–भिलाई में जमाबन्दी सं0–23 के चल एवं अचल सम्पत्ति

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	का घरजमाई तरीके से शादी करने की तिथि से उत्तराधिकारी हुए तो क्यों नहीं 60 या 70 के दशक का मारफती राजस्व रसीद उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त बिन्दुओं पर निम्न न्यायालय द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया और न ही अपीलकर्त्ता के द्वारा दिनांक 04.08.2014 को R.E.R. Case No.-25/2012-13 के साथ Misc.Case No.-25/2012-13 को Amalgamation करने के आवेदन पर कोई निर्णय लिया गया, क्योंकि उक्त वाद का सीधा सम्बन्ध R.E.R. Case No.- 25/2012-13 से था। सभी बिन्दुओं पर सम्यक रूप से विचारण के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2015 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे खारिज किया जाता है तथा इस मामले को पुनः निम्न न्यायालय को इस निदेश के साथ Remand किया जाता है कि वे घरजमाईनामा घोषणा पत्र की सत्यता की स्थल जाँच के साथ-साथ 60 एवं 70 के दशक के ग्राम-भिलाई के मतदाता सूची, एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्य से मिलान करके Misc.Case No.-25/2012-13 को एक साथ संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर मामले का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करावें। अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण पूर्व में आदेश पारित करना संभव नहीं हो सका। आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ आदेश निर्गत किया गया। लेखापित एवं संशोधित Sd/- 3/10/18 उपायुक्त, पाकुड़। Sd/- 3/10/18 उपायुक्त, पाकुड़।	Seen Adv. for Respondent 27.10.18 136/D.B. 25.10.18 L.C.R. return Seen 31.10.2018

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.16 16:33:40 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1838:658e:3557:abe1

Scanned with CamScanner